

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा

ईसाक बनाम जुबेदीन वगै०


किस्म मुकदमा दावा धारा 53,188 आर.टी.ए.

मु० नं०..... 1/138 सन-2025


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">2025/215</p>	<p>नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-------------------	---	---

01.07.2025

दावा वकील वादी श्री मयंक दीक्षित, एडवोकेट ने उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जर्जे रजि० नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 01.08.2025 को पेश हो।



 उपखण्ड अधिकारी
 मालाखेडा


01/08/25
 पत्रावली पेश हुई। पीठस्थित
 अधिकारी अन्य प्रमाण बरचों
 में व्यस्त है। आइन्दा दिनांक
 13/10/25 को पेश हो।

(13/10/25) 

12/08/25

पत्रावली जारीगण व वकील वादी के प्रा. पत्र नोटप्रेस पेश किये जाने पर तलब की गयी। जारीगण ने प्रा.पत्र नोटप्रेस में निवेदन किया कि जारीगण वाशपत्र में कोई रिजिक नहीं चाहते हैं तथा इसी स्तर पर वाशपत्र को विश्र कराना चाहते हैं। पत्रावली का अफगेमन किया तथा प्रार्थना पत्र में अन्वित अडिव गनो पर मानन किया। जारीगण के निवेदन पर वाशपत्र नोटप्रेस में श्वादिन किया जाता है। पत्रावली फैसल सुनार होकर नम्बर से इस होकर वाश तहकीस शखिस रूपतए हो।

मजलिस
 ईसाक खान
 Note लिख
 12

 (मयंक दीक्षित)


 उपखण्ड अधिकारी
 मालाखेडा (अदालत)